



Neutral Citation No.-2026:AHC:8261

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-6551 वर्ष 2025

सृष्टि गुप्ता आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अजय कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: धीरज सिंह (बोहरा), अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अजय कुमार, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री धीरज सिंह (बोहरा) के साथ-साथ राज्य के राज्य विधि अधिकारी श्री आरपी पटेल को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा अपराध संख्या-40 वर्ष 2018 में धारा 302, 120-बी भ०द०वि०, थाना-सूरजपुर, ज़िला: गौतम बुद्ध नगर के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक की ओर से यह चौथा ज़मानत आवेदन है। इस न्यायालय ने 2018 की आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-38450, 2019 के 30649 और 2020 के 17956 में पारित दिनांक 8.1.2019, 14.10.2019 और 21.4.2022 के आदेशों के माध्यम से पहले, दूसरी और तीसरी ज़मानत आवेदनों को खारिज कर दिया था।
5. एक नए आधार के रूप में, आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक 18.1.2018 से जेल में बंद है, इस तरह, वह लगभग आठ साल से जेल में है और निकट भविष्य में मुकदमे के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समापन की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित आवेदक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. तत्स्य विपरीत, राज्य के विधि अधिकारी ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, इस तरह, आवेदक ज़मानत का हकदार नहीं है।

7. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 3.1.2026 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, सत्र परीक्षण संख्या-227/2018 में साक्ष्य पहले ही समाप्त हो चुके हैं और मुकदमा 23.1.2025 से बहस के चरण में है। आवेदक सृष्टि गुप्ता ने इस न्यायालय के समक्ष धारा 528 बी.एन.एस.एस संख्या 29339/2025 के तहत एक आवेदन दायर किया था और न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15.10.2025 के तहत कार्यवाही पर रोक लगाते हुए प्रसन्नता व्यक्त की और मामले को आगे के आदेशों के लिए 8.1.2026 के लिए निर्धारित किया गया था।

8. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य INSC 909 2024 में रिपोर्ट किए गए के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी ठहराया जा सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

9. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, मुझे आवेदक को ज़मानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं लगता। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

10. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मद्देनजर जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017)5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम



न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है; अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, तेजी से तय किया जाए ।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

जनवरी 12, 2026

विकास वर्मा